इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 477] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 नवम्बर 2015—अग्रहायण 5, शक 1937

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. एफ 5-17-2015-उन्तीस-1.—राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी. एस. आर. 800 दिनांक 9 जून 1978, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना का. आ. 1373 (अ) दिनांक 29 अगस्त 2006, का.आ. 2227(अ) दिनांक 27 सितम्बर 2011 एवं का.आ. 2857(अ) दिनांक 18 अक्टूबर 2015 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ''मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2015'' में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में—

1. कण्डिका 2 (ग)(एक) में उल्लेखित थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता की परिभाषा के आगे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्;

''अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी कानून में थोक अथवा फुटकर अनुज्ञप्तिधारी है.''

2. अनुसूची ''दो'' में तालिका के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्;

''परन्तु मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के प्रावधान अनुसार ''क'' प्रवर्ग की मण्डियां जहां की जनसंख्या दस लाख से कम है, वहां व्यापारी के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा 1000 क्विंटल होगी.''

3. अनुसूची ''दो'' (अ) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्;

''**स्पष्टीकरण**—यदि प्रसंस्करणकर्ता की मिल नियमित रूप से चल रही है तो सात दिवस की मिलिंग क्षमता की मात्रा को प्रसंस्करण की प्रक्रिया में लेते हुए भण्डारित स्कन्ध की गणना में नहीं ली जाए.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.